भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4546

19 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत और एससीएम मिशनों का कार्यान्वयन

†4546. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) तथा स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत कवर किए गए शहरों/कस्बों की कुल संख्या कितनी है तथा इनके अंतर्गत स्वीकृत और कार्यान्वित जलापूर्ति, सीवरेज तथा अन्य शहरी अवसंरचना सुविधाओं का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अमृत तथा एससीएम के लिए स्वीकृत कुल अनुमानित बजट का ब्यौरा क्या है तथा इनके प्रारंभ से अब तक देशभर में आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार तथा शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमृत तथा एससीएम के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई देरी के कारण लागत में वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(घ) अमृत तथा एससीएम के अंतर्गत शेष कार्यों के पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा का शहर-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। यह मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; हरित क्षेत्र और पार्क; तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है।

अमृत के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और क्रियान्वयन करने का अधिकार दिया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अमृत के अंतर्गत 83,493.22 करोड़ रुपये मूल्य की 6,000 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से लगभग 81,177.67 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं में 43,378.59 करोड़ रुपये मूल्य की 1,403 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 34,471.1 करोड़ रुपये मूल्य की 889 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 3,017.13 करोड़ रुपये मूल्य की 838 जल निकासी परियोजनाएं, 1,022.27 करोड़ रुपये मूल्य की 348 गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन परियोजनाएं तथा 1,604.13 करोड़ रुपये मूल्य की 2,522 हरित क्षेत्र एवं पार्क परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का शहर-वार विवरण वेबसाइट https://amrut.mohua.gov.in/ पर उपलब्ध है।

अमृत के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी की जाती हैं, न कि शहरों/शहरी स्थानीय निकायों के अनुसार। अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 36,036 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश में से 34,901 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 32,847 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। अमृत के अंतर्गत राज्य-वार जारी निधि और प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

अमृत के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं, जिनकी अवधि लंबी होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी के अनुसार कुछ परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और अनुमोदन में विलंब, सांविधिक मंजूरी, भूमि संबंधी मुद्दों, कोविड-19 महामारी आदि के कारण देरी हुई। मिशन के दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का विशिष्ट प्रावधान है। शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मिशन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गठित शीर्ष समिति मिशन की आवधिक समीक्षा और निगरानी करती है। साथ ही, परियोजनाओं की शीघ्र पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/ वेबिनार/ कार्यशालाओं/ स्थल-भ्रमण आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने और निगरानी करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है।

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत केंद्र सरकार के 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन में से मिशन के अंतर्गत चयनित 100 शहरों ने 47,458 करोड़ रुपये (अर्थात शहरों के लिए कुल केंद्रीय अंश आवंटन का 99 प्रतिशत) की केंद्रीय वित्तीय सहायता का दावा किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01.03.2026 तक 46,326 करोड़ रुपये (अर्थात शहरों के लिए जारी कुल केंद्रीय अंश का 98 प्रतिशत) का उपयोग किया जा चुका है। दावा और उपयोग की गई निधियों का शहर-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत क्षेत्र-वार शुरू की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

(धन राशि करोड़ रु. में)

एससीएम के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाएं	**परियोजनाओं की संख्या**	**परियोजना लागत** (करोड़ रु. में)
आर्थिक बुनियादी ढांचा	933	13,004
स्मार्ट ऊर्जा	695	14,324
स्मार्ट गवर्नेंस	682	17,815
स्मार्ट मोबिलिटी	1,734	41,652
सामाजिक बुनियादी ढांचा	899	13,023
जीवंत सार्वजनिक स्थान	1,405	12,249
वॉश	1,547	49,625
आईसीसीसी	100	11775

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा 1 मार्च, 2026 तक दी गई जानकारी के अनुसार।

शहरों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी के विभिन्न कारण रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिक मुद्दे, विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में देरी, भूमि अधिग्रहण, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण, तथा छोटे और मध्यम शहरों में विक्रेताओं और संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित चुनौतियां शामिल हैं।

31.03.2025 को स्मार्ट सिटीज मिशन के समापन के पश्चात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 10 जून 2025 को परामर्शिका तथा 24.02.2026 को पत्र जारी किया गया है, जिसमें विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि भारत सरकार द्वारा उन्हें जारी निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च, 2026 से पहले प्रस्तुत किए जाएं तथा सृजित परिसंपत्तियों के लिए संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) योजनाएं तैयार की जाएं।

अमृत और एससीएम मिशनों का कार्यान्वयन के संबंध में 19 मार्च, 2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4546 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई केंद्रीय अंश की निधि

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता**	**जारी की गई निधि**	**प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.82	10.81	9.39
2	आंध्र प्रदेश	1056.62	1049.88	942.75
3	अरुणाचल प्रदेश	126.22	116.69	99.32
4	असम	591.42	511.71	457.67
5	बिहार	1164.8	1146.15	1146.15
6	चंडीगढ़	54.09	53.25	52.39
7	छत्तीसगढ़	1009.74	969.12	955.65
8	दादरा और नगर हवेली	10.82	10.59	10.59
	दमन और दीव	18.03	18.03	18.03
9	दिल्ली	802.31	673.74	552.36
10	गोवा	104.58	62.75	62.75
11	गुजरात	2069.96	1966.96	1966.96
12	हरियाणा	764.51	746.4	736.97
13	हिमाचल प्रदेश	274.07	269.06	255.73
14	जम्मू और कश्मीर	500.62	477.74	358.39
15	लद्दाख	79.19	39.2	33.21
16	झारखंड	566.17	551.69	447.04
17	कर्नाटक	2318.79	2258.85	2104.94
18	केरल	1161.2	1153.08	1106.11

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता	जारी की गई निधि	प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र
19	लक्षद्वीप	3.61	2.25	2.11
20	मध्य प्रदेश	2592.86	2497.05	2497.05
21	महाराष्ट्र	3534.08	3356.19	3191.28
22	मणिपुर	162.28	162.28	161.91
23	मेघालय	72.12	71.02	71.02
24	मिजोरम	126.22	125.37	119.72
25	नागालैंड	108.19	107.87	77.18
26	ओडिशा	796.97	785.23	785.23
27	पुडुचेरी	64.91	63.75	53.41
28	पंजाब	1204.47	1190.77	1190.77
29	राजस्थान	1541.95	1511.23	1511.23
30	सिक्किम	36.06	34.03	31.06
31	तमिलनाडु	4756.58	4626.24	4397.29
32	तेलंगाना	832.6	831.52	806.2
33	त्रिपुरा	133.43	132.47	132.47
34	उत्तर प्रदेश	4922.46	4880.7	4421.75
35	उत्तराखंड	533.72	531.91	474.28
36	पश्चिम बंगाल	1929.32	1905.39	1606.49
कुल		**36035.79**	34900.97	32846.87

अमृत और एससीएम मिशनों का कार्यान्वयन" के संबंध में 19 मार्च, 2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4546 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत राज्य-वार एवं शहर-वार आवंटित निधि का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	शहर का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भारत सरकार की निधियों की स्थिति	
			दावा की गई केंद्रीय निधियां	उपयोग की गई केंद्रीय निधियां
1	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	306	245
2	अमरावती	आंध्र प्रदेश	488	488
3	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	490	485
4	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	392	388
5	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	490	479
6	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	488	408
7	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	490	485
8	गुवाहाटी	असम	490	490
9	भागलपुर	बिहार	490	486
10	बिहारशरीफ	बिहार	433	418
11	मुजफ्फरपुर	बिहार	490	445
12	पटना	बिहार	488	485
13	चंडीगढ़	चंडीगढ़	490	490
14	अटल नगर	छत्तीसगढ़	488	476
15	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	429	403
16	रायपुर	छत्तीसगढ़	453	453
17	सिलवासा	दादरा और नगर हवेली	392	389
18	दीव	दमन और दीव	386	386
19	एनडीएमसी	दिल्ली	343	317
20	पणजी	गोवा	490	470
21	अहमदाबाद	गुजरात	490	490
22	दाहोद	गुजरात	417	414
23	गांधीनगर	गुजरात	490	463

क्रम संख्या	शहर का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भारत सरकार की निधियों की स्थिति	
			दावा की गई केंद्रीय निधियां	उपयोग की गई केंद्रीय निधियां
24	राजकोट	गुजरात	490	488
25	सूरत	गुजरात	490	490
26	वडोदरा	गुजरात	490	489
27	फरीदाबाद	हरियाणा	490	490
28	करनाल	हरियाणा	490	432
29	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	490	477
30	शिमला	हिमाचल प्रदेश	488	478
31	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	489	455
32	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	452	441
33	रांची	झारखंड	490	490
34	बेलगावी	कर्नाटक	490	490
35	बेंगलुरु	कर्नाटक	488	456
36	दावणगेरे	कर्नाटक	490	490
37	हुबली-धारवाड़	कर्नाटक	490	444
38	मंगलुरु	कर्नाटक	490	457
39	शिवमोग्गा	कर्नाटक	490	490
40	तुमकुरु	कर्नाटक	490	490
41	कोच्चि	केरल	490	490
42	तिरुवनंतपुरम	केरल	488	474
43	कवरत्ती	लक्षद्वीप	183	45
44	भोपाल	मध्य प्रदेश	490	490
45	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	490	490
46	इंदौर	मध्य प्रदेश	490	490
47	जबलपुर	मध्य प्रदेश	490	490
48	सागर	मध्य प्रदेश	490	489
49	सतना	मध्य प्रदेश	490	483
50	उज्जैन	मध्य प्रदेश	490	490
51	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	490	490
52	कल्याण-डोंबिवली	महाराष्ट्र	490	490
53	नागपुर	महाराष्ट्र	490	490

क्रम संख्या	शहर का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भारत सरकार की निधियों की स्थिति	
			दावा की गई केंद्रीय निधियां	उपयोग की गई केंद्रीय निधियां
54	नासिक	महाराष्ट्र	444	444
55	पिंपरी-चिंचवाड़	महाराष्ट्र	490	490
56	पुणे	महाराष्ट्र	490	490
57	सोलापुर	महाराष्ट्र	490	490
58	ठाणे	महाराष्ट्र	490	490
59	इंफाल	मणिपुर	398	348
60	शिलांग	मेघालय	490	445
61	आइजोल	मिजोरम	490	419
62	कोहिमा	नागालैंड	490	475
63	भुवनेश्वर	ओडिशा	490	490
64	राउरकेला	ओडिशा	490	490
65	पुडुचेरी	पुडुचेरी	343	338
66	अमृतसर	पंजाब	490	484
67	जालंधर	पंजाब	490	445
68	लुधियाना	पंजाब	490	490
69	अजमेर	राजस्थान	490	490
70	जयपुर	राजस्थान	490	484
71	कोटा	राजस्थान	490	484
72	उदयपुर	राजस्थान	490	490
73	गंगटोक	सिक्किम	488	447
74	नामची	सिक्किम	490	464
75	चेन्नई	तमिलनाडु	490	490
76	कोयंबटूर	तमिलनाडु	490	490
77	ईरौड	तमिलनाडु	490	486
78	मदुरै	तमिलनाडु	490	490
79	सलेम	तमिलनाडु	490	490
80	तंजावुर	तमिलनाडु	490	488
81	थूथुकुडी	तमिलनाडु	490	482
82	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	490	489
83	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	490	480

क्रम संख्या	शहर का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भारत सरकार की निधियों की स्थिति	
			दावा की गई केंद्रीय निधियां	उपयोग की गई केंद्रीय निधियां
84	तिरुपुर	तमिलनाडु	490	489
85	वेल्लोर	तमिलनाडु	490	489
86	ग्रेटर वारंगल	तेलंगाना	377	377
87	करीमनगर	तेलंगाना	429	429
88	अगरतला	त्रिपुरा	490	490
89	आगरा	उत्तर प्रदेश	490	490
90	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	490	488
91	बरेली	उत्तर प्रदेश	490	485
92	झांसी	उत्तर प्रदेश	490	490
93	कानपुर	उत्तर प्रदेश	490	489
94	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	490	490
95	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	490	490
96	प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	490	489
97	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	490	488
98	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	490	490
99	देहरादून	उत्तराखंड	490	484
100	न्यू टाउन कोलकाता	पश्चिम बंगाल	490	486
	कुल		**47,320**	**46,203**
	गैर-चयनित स्मार्ट सिटी		**18**	**18**
	सुल्तानपुर लोधी		**120**	**105**
	सकल योग		**47,458**	**46,326**